यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारी:–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बर:–261/2018 प्रार्थना पत्र
मति अलोल पत्नि गजानंन्द जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा
जस्थान) ———–प्रार्थीया

बनाम

श्री नंदराम पिता गोपी गाडरी, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री कैलाश पिता गोपी गाडरी, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीरामेश्वर पिता गोपी गाडरी, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीरामेश्वर पिता उदा गाडरी, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्रीकैलाश पिता उदा गाडरी,उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
श्री रामेश्वर पिता सुखा जाट, उम्र बालिग निवासी भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
————विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य :: दिनांक:–25.2.2019

वकील प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–
स्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम भोपालगढ़ वार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 187 रकबा 4 बीघा बिस्वा भूमि प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीया खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी ाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा नकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दिनांक 19.12.2018 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण संख्या 1 से 7 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। से शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण संख्या 1 से 7 उपस्थित नहीं। विपक्षी संख्या 1 से 7 को तनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 6.2. 19 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीया ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीया की एक फा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीया ने कथन किया कि प्रार्थीया को अपने खाते व ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय, फसल टते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीया अपने खाते एवं ब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में फल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

:: आ दे श ::

Scanned by CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के स्वीकार किया जाकर ग्राम भोपालगढ़ पटवार हल्का भोपालगढ़ तहसील व जिला भीलवाड़ा में हाल आराजी नम्बर 187 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, पुर को –रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस ा मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में ाढ़ी की जावें। पत्थरग़ढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 25.2.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner